भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3198**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**बाल संबंधित संस्थानों में रिक्तियां**

**3198. श्रीमती कानीमोझीः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय और राज्य आयोगों, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों में कुल रिक्तियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरे जाने में तेजी लाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्‍यों के तीन पद रिक्‍त हैं। राज्‍य सरकारों द्वारा यथा सूचित राज्‍य बाल संरक्षण आयोगों में अध्‍यक्ष और सदस्‍यों के रिक्‍त पदों का ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक**-। में निर्दिष्‍ट है। किशोर न्‍याय बोर्ड तथा बाल कल्‍याण समितियों में कुल रिक्‍तियों का राज्‍य-वार बयौरा **अनुलग्‍नक -।।** में निर्दिष्‍ट है।

(ख) : मंत्रालय ने सदस्‍य, एनसीपीसीआर के रिक्‍त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए चार राष्‍ट्रीय समाचार पत्रों में दिनांक 06.03.2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया है। राज्‍य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, किशोर न्‍याय बोर्ड और बाल कल्‍याण समितियों में रिक्‍त पद संबंधित राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा भरे जाते हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक-।**

**बाल संबंधित संस्थानों में रिक्तियां विषय पर श्रीमती कानीमोझी द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3198 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण**

**दिनांक 28.02.2018 की स्‍थिति के अनुसार एससीपीसीआर में अध्‍यक्ष तथा सदस्‍य के रिक्‍त पदों का ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **रिक्‍तियों का ब्‍यौरा** | |
| **अध्‍यक्ष** | **सदस्‍य** |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 6 |
| 2. | असम | - | 2 |
| 3. | चंडीगढ़ | - | 3 |
| 4. | दादर और नागर हवेली | 1 | 6 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | - | 1 |
| 6. | झारखंड | - | 3 |
| 7. | मध्य प्रदेश | - | 1 |
| 8. | मिजोरम | 1 | 6 |
| 9. | नागालैंड | - | 4 |
| 10. | तेलंगाना | 1 | 6 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 1 | 6 |

**\*** शेष राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के बाल संरक्षण आयोग पूर्णत: कार्यात्‍मक हैं और इन राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में कोई पद खाली नहीं है।

**अनुलग्‍नक-।।**

**बाल संबंधित संस्थानों में रिक्तियां विषय पर श्रीमती कानीमोझी द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3198 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण**

**बाल कल्‍याण समितियों और किशोर न्‍याय बोर्डों में रिक्‍तियों का राज्‍य-वार ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य** | **बाल कल्‍याण समिति** | **1 अध्‍यक्ष एवं 4 सदस्‍यों के स्‍वीकृत पदों के प्रति रिक्‍त पदों की संख्‍या** | **किशोर न्‍याय बोर्ड** | **1 अध्‍यक्ष एवं 2 सदस्‍यों के स्‍वीकृत पदों के प्रति रिक्‍त पदों की संख्‍या** |
|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 21 | 5 | 21 | 0 |
| 3 | असम | 27 | 4 | 27 | 0 |
| 4 | बिहार | 38 | 57 | 38 | 9 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 27 | 60 | 27 | 27 |
| 6 | गोवा | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | गुजरात | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 22 | 18 | 22 | 4 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | जम्मू और काश्मीर | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 11 | झारखंड | 24 | 0 | 24 | 12 |
| 12 | कर्नाटक | 33 | 2 | 30 | 0 |
| 13 | केरल | 14 | 7 | 14 | 0 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 51 | 90 | 51 | 38 |
| 15 | महाराष्ट्र | 38 | - | 36 | - |
| 16 | मणिपुर | 9 | 5 | 9 | 0 |
| 17 | मेघालय | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 18 | मिजोरम | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | नागालैंड | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 20 | ओडिशा | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 21 | पंजाब | 22 | 10 | 22 | 0 |
| 22 | राजस्थान | 33 | 4 | 34 | 7 |
| 23 | सिक्किम | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | तमिलनाडु | 32 | 10 | 32 | 0 |
| 25 | त्रिपुरा | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 27 | उत्तराखंड | 13 | 7 | 13 | 3 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 25 | 10 | 23 | 0 |
| 29 | तेलंगाना | 31 | 105 | 31 | 63 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | दादर और नागर हवेली | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | दमन और दीव | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | लक्षद्वीप | - | - | - | - |
| 35 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  |  | **704** | **412** | **697** | **163** |